भारत संघ एवं अन्य

बनाम

सचिव, मद्रास सिविल लेखा परीक्षा एवं लेखा

संगठन एवं अन्य वगैरह।

4 फरवरी 1992

[ललित मोहन शर्मा एवं के. जयचंद्र रेड्डी, जेजे.]

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14, 16-लेखा परीक्षा शाखा एवं लेखा शाखा के कार्मिक-चौथे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश-कार्यान्वयन के लिए अलग-अलग तारीखें-समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत क्या लागू होता है।

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14, 16-कानून के समक्ष समानता-अर्थ-सिविल सेवा-राज्य द्वारा व्यक्तियों का वर्गीकरण-वैधता।

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) की बैंगलोर पीठ ने माना कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के लेखा शाखा से संबंधित कर्मचारी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 12.6.87 के तहत लाभ के 1.1.86 से हकदार थे।

इसके बाद, तमिलनाडु में लेखा शाखा के कुछ कर्मचारियों ने CAT की मद्रास पीठ के समक्ष याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि उन्हें भी 1.1.86 से लाभ दिया जाना चाहिए।

बैंगलोर पीठ द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से मद्रास पीठ सहमत नहीं थी और मामला CAT के अध्यक्ष को भेजा गया और एक पूर्ण पीठ का गठन किया गया।

पूर्ण पीठ ने बैंगलोर पीठ द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत होकर निर्देष का उत्तर दिया।

इस न्यायालय के समक्ष अपीले, मद्रास पीठ के साथ-साथ CAT की बैंगलोर पीठ द्वारा पारित कई आदेशों के खिलाफ दायर की गई थी।

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 12.6.87 चौथे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित था जिसमें दो भाग शामिल थे। पहले भाग में लेखा शाखा में मौजूदा पदों के लिए 1.1.86 से प्रभावी वेतनमान की सिफारिश की गई थी। दूसरा भाग पैरा 11.38 में निहित था। उन सिफ़ारिशों के अनुसरण में सरकार ने इसे 1.4.87 से लागू करने का निर्णय लिया; पूर्ण पीठ वेतन आयोग की सिफारिश के दूसरे भाग की सही ढंग से सराहना करने में विफल रही, जिसमें संकेत दिया गया था कि इन वेतनमानों में रखे जाने वाले पदों की संख्या सरकार द्वारा पहचानी

जानी थी और इसलिए सरकार निर्णय ले सकती थी और फिर उस पर बाद की तारीख में प्रभाव दे सकती थी।

प्रत्यर्थीगण-कर्मचारियों ने तर्क दिया कि वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि आई.ए. एवं ए.डी. और अन्य लेखा संगठन में कर्मचारियों के वेतनमान में समानता होनी चाहिए और चूंकि उन सभी ने समान कर्तव्यों का निर्वहन किया, इसलिए लाभ उन सभी को 1.1.86 से समान रूप से दिया जाना चाहिए; लेखा शाखा को आवंटित व्यक्ति, जिनके पास विभाग में प्रवेश से पहले और बाद में समान योग्यताएं थीं, लेखा परीक्षा शाखा को आवंटित किए गए लोगों के समान ही प्रकृति के कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, और उन्हें लेखा परीक्षा शाखा को दिए गए वेतनमान की तुलना में कम वेतनमान की अनुमति दी गई थी जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन था; तथा चूंकि उन सभी ने एक जैसा काम किया, इसलिए उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए और समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत अत्यधिक आकर्षित होता हैं; और वेतन आयोग की सिफारिशों को सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के संबंध में समग्र रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए।

इस सवाल पर कि,

"क्या भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 12 जून, 1987 के तहत लाभ

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के लेखा शाखा के सदस्यों को प्रभावी ढंग से 1.1.86 से दिया जाना चाहिए", जैसा कि लेखा परीक्षा शाखा के मामले में है, या क्या यह 1.4.87 से होना चाहिए जैसा कि कार्यालय ज्ञापन में दर्शाया गया है?"

इस न्यायालय द्वारा भारत संघ की अपील को स्वीकार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि,

1.01. वेतन आयोग की रिपोर्ट ने संकेत दिया कि विभाजन के बाद, लेखा शाखा में कुछ पदों को कार्यात्मक ग्रेड में लाने की घोषणा की जानी चाहिए और उसके बाद ऐसे श्रेणी में उपयुक्त अधिकारियों को उच्च वेतनमान का भुगतान किया जाना चाहिए। [541E-F]

1.02. उस प्रयोजन के लिए पात्रता इत्यादि निर्धारित करते हुए आवश्यक नियम बनाए जाने होंगे और वरिष्ठ लेखाकार जिन्होंने श्रेणी में तीन साल की नियमित सेवा पूरी कर ली है, उन्हें सहायक लेखा अधिकारी के पद पर उन्नत किया जाता है। यह स्पष्ट है कि यह सब वर्ष 1987 में ही किया जा सकता था और संगठित लेखा कार्यालय में 1.4.87 अर्थात् वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से ही उच्च वेतनमान दिया जाने लगा था । [540G-H]

1.03. प्रत्यर्थीगण इस बात पर ज़ोर नहीं दे सकते कि उन्हें 1.1.86 से उच्च वेतनमान दिया जाना चाहिए। यह दावा स्पष्ट रूप से इस आधार पर आधारित है कि लेखा परीक्षा शाखा से जुड़े कुछ अधिकारियों को 1.1.86 से वेतनमान दिया गया था लेकिन यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि वे उस तिथि पर उच्च वेतनमान के लिए पात्र थे। इसी तरह लेखा शाखा के कुछ अधिकारी जो उच्च वेतनमान के लिए पात्र थे, उन्हें भी दिया गया। [540H-541A]

1.04. विभाजन से पहले वे सभी एक ही विभाग के थे और इस प्रकार दोनों शाखाओं के वे सभी अधिकारी जो 1.1.86 से वेतनमान के हकदार थे, उन्हें उसी तिथि से वेतनमान प्रदान किया गया है। लेकिन उन पदों के संबंध में जिन्हें भविष्य में पहचाना जाना था और कार्यात्मक ग्रेड में लाया जाना था, उच्च वेतनमान को पूर्वव्यापी रूप से अर्थात 1.1.86 से लागू नहीं किया जा सकता है। यह नहीं कहा जा सकता कि उस तारीख को बाद में पहचाने गए पद भी अस्तित्व में थे। ऐसी स्थिति में 1.1.86 को समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। [541F-H]

1.05. उन्नयन के बाद लेखा परीक्षा एवं लेखा शाखा में समान कार्य करने वाले अधिकारियों को समान वेतन दिया जा रहा है। परंतु 1.1.86 को भी वैसी ही स्थिति नहीं कही जा सकती। [543D]

2. कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कि समान लोगों के बीच कानून समान होना चाहिए और समान रूप से प्रशासित होना चाहिए तथा जो जैसा है उसके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। हालाँकि, यह सिद्धांत राज्य से वैध उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को वर्गीकृत करने की शक्ति नहीं छीनता है। [537C]

अमीरुन्निसा बेगम एवं अन्य बनाम वी. महबूब बेगम एवं अन्य, [1953] एस.सी.आर 404; पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार, [1952] एस.सी.आर 284; ई.पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य, [1974] 2 एस.सी.आर 348; श्रीमती मेनका गांधी बनाम भारत संघ एवं अन्य, [1978] 1 एस.सी.सी 248; रमाना दयाराम शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राधिकरण एवं अन्य, [1979] 3 एससीसी 489; डी.एस. नाकारा एवं अन्य बनाम भारत संघ, [1983] 1 एस.सी.सी 305; अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर्स एवं सहायक स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन एवं अन्य, बनाम महाप्रबंधक, मध्य रेलवे एवं अन्य, [1960] 2 एस.सी.आर 311; किशोरी मोहनलाल बख्शी बनाम भारत संघ, ए.आई.आर 1962 एस.सी 1139; यूनिकट संकुन्नी मेनन बनाम राजस्थान राज्य, [1967] 3 एस.सी.आर 430; पंजाब राज्य बनाम जोगिंदर सिंह, [1963] सप्ल. 2 एस.सी.आर 169, निर्दिष्ट।

पुरषोत्तम लाल एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, [1973] 1 एस.सी.सी 681; पी. परमेश्वरन और अन्य बनाम भारत सरकार के सचिव, [1987] सप्ल. एस.सी.सी. 18, विशिष्ट रूप से।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1783-84/1990।

मद्रास उच्च न्यायालय के अपील संख्या 232 और 262/1988 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 12.10.1989 से उत्पन्न।

(सी.ए. नं. 772-777/89, 1085-90/89, 535-40/89, 705-725/89, 945-74/89, 1043-63/89, 1024-42/89, 733-38 के साथ) /89, 739-747/89, 726-32/89, 997-999/89, 3117/89, 1064-84/89, 1000-23/89, 975-96/89, 3623-25/88, 3698 -3704/88, 3705-14/88 एवं 3678/89 सहित)।

के.टी.एस. तुलसी, अतिरिक्त. सॉलिसिटर जनरल, एन.एन. गोस्वामी, ए. सुब्बा राव, सी.वी.एस. राव एवं पी. परमेश्वरन अपीलकर्ताओं की ओर से।

ई.एक्स. जोसेफ, संजय कुमार, एन.एस. दास बेहल, एस. बालकृष्णन, एम.के.डी. नाम्बूदिरी और एस. प्रसाद प्रत्यर्थीगण के लिए।

न्यायालय का निर्णय के. जयचंद्र रेड्डी, जे. द्वारा पारित किया गया।

ये सभी अपीलें भारत संघ, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और प्रधान महालेखाकार द्वारा दी गई विशेष अनुमति के अनुसरण में दायर की गई हैं। विचार के लिए एकमात्र प्रश्न यह उठता है कि क्या भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (ओ.एम.) दिनांकित 12 जून, 1987 के तहत लाभ भारतीय लेखा परीक्षा के लेखा शाखा और लेखा विभाग (संक्षेप में आई.ए. एवं ए.डी.) के सदस्यों तक बढ़ाया जाना चाहिए जो 1.1.86 से प्रभावी होगा जैसा कि लेखा परीक्षा शाखा के मामले में है या क्या यह 1.4.87 से होना चाहिए जैसा कि उक्त कार्यालय ज्ञापन में दर्शाया गया है? लेखा शाखा से जुड़े कई कर्मचारियों ने याचिकाएं दायर कीं और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (संक्षेप में "CAT") की बैंगलोर पीठ ने माना कि वे 1.1.86 से लाभ के हकदार हैं। उक्त निर्णय के बाद तमिलनाडु में लेखा शाखा के कुछ कर्मचारियों ने CAT की मद्रास पीठ के समक्ष याचिका दायर की और दावा किया कि लाभ 1.1.86 से बढ़ाया जाना चाहिए। बैंगलोर पीठ द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से मद्रास पीठ सहमत होने के लिए तैयार नहीं थी और मामले को CAT के अध्यक्ष के पास भेज दिया गया, जिन्होंने स्वयं की अध्यक्षता में एक पूर्ण पीठ का गठन किया। पूर्ण पीठ बैंगलोर पीठ द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत थी और तदनुसार निर्देष का उत्तर दिया। पूर्ण पीठ के निर्णय के बाद, मद्रास पीठ ने अंतिम आदेश पारित किया। ये सभी अपीलें मद्रास पीठ के साथ-साथ बैंगलोर पीठ द्वारा पारित कई आदेशों के खिलाफ दायर की गई हैं। भारत संघ की ओर

से तर्क दिया गया कि कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 12.6.87 चौथे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है जिसमें दो भाग हैं। पहला भाग 1.1.86 से प्रभावी होते हुए लेखा शाखा में मौजूदा पदों के लिए संबंधित वेतनमान की सिफारिश करता है। दूसरा भाग पैरा 11.38 में निहित है। उन सिफ़ारिशों के अनुसरण में सरकार ने इसे 1.4.87 से लागू करने का निर्णय लिया। यह भी तर्क दिया गया है कि पूर्ण पीठ इस बात को सही ढंग से समझने में विफल रही कि वेतन आयोग की सिफारिश के दूसरे भाग में स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया था कि इन वेतनमानों में रखे जाने वाले पदों की संख्या सरकार द्वारा पहचानी जानी थी और इसलिए सरकार निर्णय ले सकती थी और फिर बाद की तारीख से लागू कर सकती थी। प्रत्यर्थी कर्मचारियों की ओर से विद्वान वकील ने तर्क दिया कि वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि आई.ए. एवं ए.डी. और अन्य लेखा संगठन में कर्मचारियों के वेतनमान में समानता होनी चाहिए और चूंकि वे सभी समान कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, इसलिए 1.1.86 से उन सभी को समान रूप से लाभ दिया जाना चाहिए। इन तर्कों को समझने के लिए मामले के इतिहास को संक्षेप में और सुसंगत दस्तावेजों एवं वेतन आयोग की सिफारिशों सहित उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है।

आई.ए. एवं ए.डी. जिसकी अध्यक्षता भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी. एवं ए.जी.) द्वारा की गई ने भारत सरकार को 1983 में किसी समय आई.ए. एवं ए.डी. को दो अलग और भिन्न शाखाओं में

विभाजित करने के लिए सिफारिश की, एक विशेष रूप से 'लेखा परीक्षा' से निपटने के लिए और दूसरा अपने स्वयं के अलग कर्मियों के साथ 'लेखा' से निपटने के लिए। भारत सरकार ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद दिसंबर, 1983 में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके बाद सी. एंड ए.जी. द्वारा 19.12.83 को आई.ए. एवं ए.डी. के विभाजन के लिए एक योजना तैयार कर 1.3.84 से दो अलग और विशिष्ट शाखाओं में विभाजित किया गया है, जो सभी आकस्मिक और सहायक मामलों के लिए प्रावधान करती है। कैडर के पुनर्गठन से पहले, आई.ए. और ए.डी. में कार्यरत कर्मचारी को दोनों शाखाओं में से किसी एक में सेवा देने के अपने विकल्प का प्रयोग करने के लिए कहा गया। कुछ ने विकल्प का प्रयोग किया। एक शिकायत थी कि लेखापरीक्षा और लेखा शाखा में विभिन्न समकक्ष संवर्गों को समान वेतनमान का भुगतान नहीं किया गया था और लेखा परीक्षा शाखा को आवंटित व्यक्ति लेखा शाखा के व्यक्तियों की तुलना में अधिक वेतन ले रहे थे। चौथा वेतन आयोग जो इस मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहा था ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि दोनों शाखाओं के बीच वेतनमान में समानता होनी चाहिए। सरकार ने सिफारिशों के आधार पर आवश्यक निर्णय लिया और उसे 13.9.86 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। सरकार ने वेतनमान से संबंधित सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और समूह 'डी' कर्मचारियों के लिए वेतनमान की सिफारिशों को 1.1.86 से प्रभावी करने का निर्णय लिया। इसके बाद वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने

तदनुसार उच्च वेतनमान में रखे जाने वाले पदों के संबंध में कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 12.6.87 जारी किया और यह उल्लेख किया गया कि ये आदेश 1.4.87 से प्रभावी होंगे। इन कर्मचारियों की शिकायत है कि ये सिफारिशें 1.1.86 से प्रभावी होनी चाहिए । चौथे वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 11.38 में निम्नलिखित सिफारिशें कीं:

> "हमने मामले पर विचार किया है। आई.ए. एंव ए.डी. के कर्मचारियों और अन्य विभागों के लेखा कर्मचारियों के बीच हमेशा समानता रही है, जो आई.ए. और ए.डी. को दो अलग-अलग संवर्गों अर्थात लेखा परीक्षा संवर्ग एवं लेखा और स्थापना संवर्ग में पुनर्गठन से परेशान हुए है और जिसमे लेखा परीक्षा के कर्मचारियो को उच्च वेतनमान दिया गया। लेखा परीक्षा और लेखा कार्य एक-दूसरे के पूरक हैं और आम तौर पर कई सरकारी कार्यालयों में एकीकृत तरीके से कार्य करते हैं जो उनके प्रभावी कामकाज के लिए आवश्यक है। इन कार्यालयों में कर्मचारी प्रत्येक संगठन की आवश्यकताओं के अनुरूप आंतरिक जांच और लेखा परीक्षा के कार्य करते हैं जो समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। कर्मचारी चयन आयोग/रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से विश्वविद्यालय स्नातकों में से सभी लेखा परीक्षा और लेखा संवर्गों में 330-560 के वेतनमान पर सीधी भर्ती होती है। इसलिए हमारा

विचार है कि आई.ए. एंव ए.डी. और अन्य लेखा संगठनों में कर्मचारियों के वेतनमान में व्यापक समानता होनी चाहिए। तदनुसार हम अनुशंसा करते हैं कि संगठित लेखा संवर्ग में जो 425-700 रुपए के वेतनमान पर हो, को 1400-2600 रुपए का वेतनमान दिया जा सकता है। रेलवे में यह सामान्य और चयन ग्रेड दोनों में उप-प्रमुख के पद पर लागू होगा। हम यह भी अनुशंसा करते हैं कि इसे भविष्य में सामान्य प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नति की आवश्यकता वाले कार्यात्मक ग्रेड के रूप में माना जाना चाहिए। अनुभाग अधिकारी के प्रस्तावित वेतनमान 2000-3200 को भी कार्यात्मक ग्रेड माना जा सकता है। प्रस्तावित वेतनमान से किसी भी पद पर चयन नहीं होगा। जहां तक 1400-2600 रुपये और 2000-3200 रुपये के कार्यात्मक वेतनमान में पदों की संख्या का संबंध है, तो हम देखते हैं कि कनिष्ठ/वरिष्ठ लेखा परीक्षक के कुल पदों का लगभग 53 प्रतिशत और आई.ए एवं ए.डी. में अनुभाग अधिकारी के सामान्य और चयन ग्रेड के कुल पदों का 66 प्रतिशत संबंधित उच्च वेतनमान में हैं। सरकार. (i) 1400-2600 और (ii) 2000-3200 रुपये के वेतनमान में रखे जाने वाले पदों की संख्या इस कारक को ध्यान में रखते हुए अन्य

संगठित लेखा संवर्गों में तय कर सकती है। अन्य सभी लेखा पद को अध्याय 8 में अनुशंसित वेतनमान दिए जा सकते हैं।"

इससे यह पता चलता है कि वेतन आयोग ने दो सिफारिशें कीं है:

"(i) आई.ए. एवं ए.डी. और अन्य लेखा संगठनों में कर्मचारियों के वेतनमान में व्यापक समानता होनी चाहिए;

(ii) वेतनमान रु. 1400-2000 और रु. 2000-3200 को सामान्य प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नति की आवश्यकता वाले कार्यात्मक (ग्रेड) के रूप में माना जाना चाहिए। इन वेतनमानों में रखे जाने वाले पदों की संख्या सरकार द्वारा तय की जाएगी।"

जहां तक सिफारिशों के पहले भाग का सवाल है, इसे लागू किया जा चुका है और इसे लेकर कोई विवाद नहीं है। सिफ़ारिशों का दूसरा भाग रुपये 1400-2000 और रुपये 2000-3200 के उपचार से संबंधित है जिसे कार्यात्मक ग्रेड के रूप में सामान्य प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नति की आवश्यकता है और साथ ही इन पदों की संख्या को भी इन वेतनमानों में रखे जाए । वेतन आयोग ने यह भी कहा कि अन्य सिफारिशों के संबंध में सरकार को सभी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त तिथि से प्रभावी करने के लिए विशिष्ट निर्णय लेने होंगे। तदनुसार सरकार को इन

वेतनमानों में रखे जाने वाले पदों की संख्या की जांच और निर्णय करना था और वर्ष 1987 में अंतिम निर्णय लिया गया और सामान्य प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नति की जानी थी। इसलिए सरकार ने कार्यालय ज्ञापन जारी कर कहा कि 1.4.87 से पदों की संख्या के अनुरूप नियुक्तियां की जानी चाहिए। पूर्ण पीठ ने यह देखते हुए कि दोनों शाखाओं से संबंधित कार्यालय एक ही प्रकार का काम करते हैं, निष्कर्ष निकाला कि समान वेतन और समान कार्य का सिद्धांत लेखा शाखा से संबंधित कर्मियों के मामले में पूरी तरह से लागू होता है। पूर्ण पीठ ने वेतन आयोग की सिफारिशों की व्याख्या यह की कि दोनों शाखाओं को वेतनमान न केवल संशोधित मिलेंगे, बल्कि एक ही तिथि से भी मिलेंगे। अंततः यह माना गया कि लेखा शाखा के सदस्यों को कार्यान्वयन की अलग-अलग तारीखें देने का कोई स्पष्ट कारण नहीं है और कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 12.6.87 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और इसने तदनुसार बैंगलोर पीठ द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की पुष्टि की।

इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 14 के विस्तार पर दिए गए विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं हैं, विशेष रूप से भेदभाव के प्रश्न पर। यदि हम उनमें से कुछ का उल्लेख कर लें जिनको अक्सर उद्धृत किया जाता है तो पर्याप्त होगा। यह सुस्थापित है कि कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कि समान लोगों के बीच कानून समान होना चाहिए और समान रूप से प्रशासित होना चाहिए और जो एक समान है उसके

साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। हालाँकि, यह सिद्धांत राज्य से वैध उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को वर्गीकृत करने की शक्ति नहीं छीनता है। अमीरुन्निसा बेगम एवं अन्य बनाम महबूब बेगम एवं अन्य, [1953] एस.सी.आर. 404 में यह इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया था:

> "एक विधायिका जिसे अनंत प्रकार के मानवीय संबंधों से उत्पन्न होने वाली विविध समस्याओं से निपटना है, आवश्यक रूप से उसे विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विशेष कानून बनाने की शक्ति होनी चाहिए; और उस उद्देश्य के लिए, इसे ऐसे कानूनों का अनुप्रयोग करने वाले व्यक्तियों और वस्तुओं का चयन या वर्गीकरण करने की व्यापक शक्तियां होनी चाहिए।"

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार, [1952] एस.सी.आर. 284 में, यह इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया था कि:

> "वर्गीकरण मनमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि तर्कसंगत होना चाहिए, अर्थात, यह केवल कुछ गुणों या विशेषताओं पर आधारित नहीं होना चाहिए जो एक साथ समूहबद्ध सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं, न कि अन्य लोगों में जो छूट गए हैं, परन्तु उन गुणों या विशेषताओं का कानून के उद्देश्य से उचित संबंध होना चाहिए। परीक्षण उत्तीर्ण करने के लिए, दो

शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए, अर्थात्, (1) वर्गीकरण को एक समझदार अंतर पर स्थापित किया जाना चाहिए जो उन अन्य लोगों को अलग करता है जिन्हें एक साथ समूहीकृत किया गया है और (2) उस अंतर का अधिनियम द्वारा प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। वर्गीकरण का आधार और अधिनियम का उद्देश्य अलग-अलग चीजें हैं और आवश्यक है कि उनके बीच संबंध हो।"

ई.पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य, [1974] 2 एस.सी.आर. 348; श्रीमती मेनका गांधी बनाम भारत संघ एवं अन्य, [1978] 1 एस.सी.सी. 248 और रमाना दयाराम शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राधिकरण और अन्य, [1979] 3 एस.सी.सी. 489 में इस न्यायालय ने माना है कि अनुच्छेद 14 राज्य की कार्यवाही में मनमानी पर प्रहार करता है और उपचार की निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करता है। डी.एस. नकारा एवं अन्य बनाम भारत संघ, [1983] 1 एस.सी.सी. 305 में उपरोक्त तीन निर्णयों का उल्लेख किया गया है और निर्धारित अनुपात निम्नानुसार है:

"इस प्रकार मूल सिद्धांत यह है कि अनुच्छेद 14 वर्ग विधान को प्रतिबंधित करता है लेकिन विधान के उद्देश्य के

लिए उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है, वर्गीकरण को एक समझदार अंतर पर स्थापित होने वाले वर्गीकरण के दोहरे परीक्षणों को पूरा करना होगा जो कि एक साथ समूहीकृत व्यक्तियों या चीजों को उन लोगों से अलग करता है जो छोड़े गए समूह से बाहर हैं और उस अंतर का विचाराधीन अधिनियम द्वारा प्राप्त किया जाने वाले उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध होना चाहिए।"

मौजूदा मामले में सवाल यह है कि क्या लेखा शाखा के सदस्यों के संबंध में वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की अलग-अलग तारीखें देने का कोई स्पष्ट कारण था और क्या ऐसा कार्यान्वयन किसी भी तरह से अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है? इसमें कोई विवाद नहीं है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद सरकार ने इस मामले पर विचार किया और सिफारिशों के महत्वपूर्ण हिस्से को स्वीकार कर लिया और 1.1.86 से संशोधित वेतनमान लागू कर दिया। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सिफारिशों के अन्य मामलों में संबंध में सरकार को प्रशासनिक और लेखा कार्य सहित सभी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उचित तिथि से उन्हें प्रभावी करने के लिए विशिष्ट निर्णय लेने होंगे। सिफ़ारिशों का द्वितीय भाग रुपये 1400-2000 और रुपये 2000-3200 कार्यात्मक ग्रेड के रूप में सामान्य प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नति की आवश्यकता और इन वेतनमानों में रखे जाने वाले पदों की संख्या के

उपचार से संबंधित हैं। ये सिफ़ारिशें स्पष्ट रूप से अन्य सिफ़ारिशों की श्रेणी में आती हैं और वेतन आयोग ने स्वयं संकेत दिया है कि ऐसी सिफ़ारिशों के संबंध में सरकार को उपयुक्त तिथि से प्रभावी करने के लिए विशिष्ट निर्णय लेने होंगे। इसलिए, सरकार को इन वेतनमानों में रखे जाने वाले पदों की संख्या के संबंध में निर्णय लेना पड़ा। इस संदर्भ में कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 12.6.87 के पैराग्राफ 4 का संदर्भ लेना प्रासंगिक है, इसे निम्नानुसार पढ़ा जाता है:

"4. उच्च वेतनमान में रखे जाने वाले पदों की संख्या के संबंध में प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है और अब यह तय किया गया है कि संगठित लेखा संवर्ग में उच्च और निम्न वेतनमान में पदों की संख्या का अनुपात, साथ ही आइ.ए एवं ए.एडी के लेखा शाखा में वेतनमान निम्नानुसार हो सकते हैं: -

(i) अनुभाग अधिकारी (एस.जी) रु.2000-6-2300-EB-75-3200 80%

(ii) अनुभाग अधिकारी रु.1640-60-2600-EB-75-2900 20%

(iii) वरिष्ठ लेखाकार रु.1400-40-1600-50-2300-EB- 80%

60-2600

(iv) कनिष्ठ लेखाकार रु.1200-30-1560-ईबी-40-2040

20%

विभिन्न संगठित लेखा संवर्गों में पदनाम भिन्न हो सकते हैं। ऐसे मामलों में भी उक्त आधार पर वेतन संरचना तय की जा सकती है।"

सरकार को इन कार्यात्मक ग्रेडों पर नियुक्ति के लिए अनिवार्य रूप से नियम बनाने होंगे और सरकार ने निर्णय लिया कि जिन लोगों ने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है और जिन्होंने अनुभाग अधिकारी के रूप में तीन साल पूरे कर लिए हैं, उन्हें वेतनमान रु. 2000-3200 के हकदार व्यक्तियों की श्रेणी में रखा जा सकता है और उसी पद को सहायक लेखा अधिकारी के रूप में पुनः नामित किया गया जो पद पहले नहीं था। एक परिपत्र दिनांकित 17.8.87 का इस पहलू को स्पष्ट करता है। यह देखा जा सकता है कि जिन अधिकारियों को कार्यात्मक ग्रेड में रखा जाना है उनकी श्रेणी सरकार द्वारा तय की जानी थी और तदनुसार सरकार ने वर्ष 1987 में निर्णय लिया। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि ये अधिकारी जो बाद में कार्यात्मक ग्रेड में रखे गए थे उसी समूह के हैं जो 1.1.86 को ही अपने अधिकार में संबंधित वेतनमान के हकदार थे। यह ध्यान में रखना होगा कि पदों की पहचान करने और उनके विरुद्ध उचित व्यक्तियों को नियुक्त

करने के लिए सरकार को एक निर्णय लेना पड़ा। हम पहले ही नोट कर चुके हैं कि वेतन आयोग की सिफारिशें आई.ए. एवं ए.डी. तथा अन्य लेखा संगठनों में कर्मचारियों के वेतनमान की समानता से संबंधित हैं। यह मानने के बाद कि लेखापरीक्षा और लेखा शाखा के कार्य पूरक हैं। लेकिन वेतन आयोग ने यह भी बताया कि रुपये 1400-2600 रुपये 2000-3200 के वेतनमान वाले पद को सामान्य प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नति की आवश्यकता वाले कार्यात्मक ग्रेड के रूप में माना जाना चाहिए और इन वेतनमानों में रखे जाने वाले पदों की संख्या के बारे में निर्णय लेने के लिए सरकार पर छोड़ दिया गया था। कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 12.6.87 का अनुच्छेद 4 सिफारिशों के बाद के भाग से संबंधित है और स्पष्ट रूप से कुछ हद तक उच्च जिम्मेदारियों और कर्तव्यों वाले पदों की पहचान करने और इन पदों के लिए वरिष्ठ और उचित व्यक्तियों को नियोजित करने के लिए किए जाने वाले अभ्यास का प्रावधान करता है। सरकार ने विचार-विमर्श के बाद इस मुद्दे पर निर्णय लिया। परिपत्र दिनांकित 17.8.87 स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कुछ पदों को उच्च कार्यात्मक ग्रेड से संबंधित के रूप में पहचाना गया है और तदनुसार अपने कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 12.6.87 के अनुरूप निर्देष जारी किए गए हैं और तदनुसार उन्हें 1.4.87 से लाभ दिया गया है।

प्रत्यर्थीगण के लिए विद्वान वकील की एक दलील यह है कि लेखा शाखा को आवंटित व्यक्ति, जिनके पास विभाग में प्रवेश से पहले और बाद

में समान योग्यताएं थीं, वे उसी प्रकृति के कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, जो लेखा परीक्षा शाखा को आवंटित किए गए थे, और ऐसा होने पर, लेखा परीक्षा शाखा को दिए गए वेतनमान से कम वेतनमान देने की अनुमति देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन था। यह सच है कि पुनर्गठन से पहले ये सभी एक ही विभाग के थे। लेकिन यह अपने आप में संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 को आकर्षित करने का आधार नहीं हो सकता। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि नए पदों की पहचान वेतन आयोग द्वारा बताए अनुसार की जानी चाहिए और उसके बाद उच्च वेतनमान के संबंध में सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जा सकता है। CAT की पूर्ण पीठ के साथ साथ बैंगलोर पीठ ने सिफारिशों के दायरे की सही व्याख्या नहीं की है। वेतन आयोग की रिपोर्ट और कार्यालय ज्ञापन को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सिफारिशों के दूसरे भाग को इन पदों की पहचान करने के बाद ही लागू किया जा सकता है। इसके लिए पूरे मामले की जांच कर आवश्यक निर्णय लेना जरूरी है। इस संदर्भ में यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि सहायक लेखा अधिकारी का पद पहले अस्तित्व में नहीं था जिसे अब कार्यात्मक ग्रेड के अंतर्गत लाया गया है। उस उद्देश्य के लिए पात्रता आदि निर्धारित करते हुए आवश्यक नियम बनाए जाने होते हैं और जिन वरिष्ठ लेखाकारों ने इस ग्रेड में तीन साल की नियमित सेवा पूरी कर ली है, उन्हें इस पद पर उन्नत किया जाता है।

स्पष्ट है कि यह सब वर्ष 1987 में ही किया जा सकता था और उक्त

संगठित लेखा कार्यालय में 1.4.87 अर्थात् वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से ही उच्च वेतनमान दिये गये। हम यह देखने में असमर्थ हैं कि प्रत्यर्थीगण कैसे इस बात पर जोर दे सकते हैं कि उन्हें 1.1.86 से उच्च वेतनमान दिया जाना चाहिए। यह दावा स्पष्ट रूप से इस आधार पर आधारित है कि लेखा परीक्षा शाखा से संबंधित कुछ अधिकारियों को 1.1.86 से वेतनमान दिया गया था, लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि वे उस तिथि पर उच्च वेतनमान के लिए पात्र थे। इसी तरह लेखा शाखा के कुछ अधिकारी जो उच्च वेतनमान के लिए पात्र थे, उन्हें भी दिया गया। लेकिन सिफ़ारिशों के दूसरे भाग के संदर्भ में लेखा शाखा में कार्यात्मक ग्रेड में पदों की श्रेणियों की पहचान और निर्माण किया जाना था। जिन प्रत्यर्थीगण को उन्नत होने का लाभ मिला है, वे अब यह दावा नहीं कर सकते कि उन्हें भी अन्य लोगों की तरह समान वेतनमान दिया जाना चाहिए, जिनके संबंध में वेतन आयोग की सिफारिशें 1.1.86 से लागू की गई थीं। दोनों श्रेणियों के बीच स्पष्ट अंतर है। इसलिए, यह दलील कि लेखा शाखा और लेखा परीक्षा शाखा के कर्मियों की इन दो श्रेणियों के संबंध में सिफारिशों के कार्यान्वयन की दो अलग-अलग तारीखें देना अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है, अस्वीकार किए जाने योग्य है।

CAT की पूर्ण पीठ ने आगे कहा कि आई.ए. एवं ए.डी. में दो शाखाए हैं और दोनों को समान वेतनमान मिलना चाहिए और वेतन आयोग की रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि इन्हें अलग

किया जाना चाहिए और अलग से निपटाया जाना चाहिए। यह भी माना गया कि विभाजन केवल विशेषज्ञता और दक्षता के उद्देश्य से किया गया था, न कि दो अलग-अलग संगठन बनाने के लिए। इस पर न्यायाधिकरण द्वारा की गई अन्य समान टिप्पणियों पर विश्वास करते हुए, विद्वान वकील ने दलील दी कि चूंकि वे सभी एक ही काम करते हैं, इसलिए उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए और समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत अत्यधिक लागू होता है। हमें इस दलील में कोई ताकत नजर नहीं आती। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वेतन आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया है कि विभाजन के बाद लेखा शाखा में कुछ पदों को कार्यात्मक ग्रेड में लाने की घोषणा की जानी चाहिए और उसके बाद ऐसे ग्रेड में उपयुक्त अधिकारियों को उच्च वेतनमान का भुगतान किया जाना चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विभाजन से पहले वे सभी एक ही विभाग के थे और इस प्रकार दोनों शाखाओं के वे सभी अधिकारी जो 1.1.86 से वेतनमान के हकदार थे, उन्हें उस तिथि से समान वेतनमान प्रदान किया गया है, लेकिन पदों के संबंध में जिन की पहचान की जानी थी और उन्हें भविष्य में कार्यात्मक ग्रेड में लाया जाना था, उच्च वेतनमान को पूर्वव्यापी रूप से यानी 1.1.86 से लागू नहीं किया जा सकता है। यह नहीं कहा जा सकता कि उस तारीख को बाद में पहचाने गए पद भी अस्तित्व में थे। ऐसी स्थिति में 1.1.86 को समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू नहीं होता है।

अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर्स एवं सहायक स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन एवं अन्य बनाम महाप्रबंधक, मध्य रेलवे एवं अन्य, [1960] 2 एस.सी.आर. 311 में इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया कि:

> "यह स्पष्ट है कि, यह प्रश्न उठ सकता है कि समान वर्ग के सदस्यों के बीच, सेवा की शर्तें समान हैं या नहीं। यदि वे नहीं हैं, तो ऐसे मामलों में समान अवसर से वंचित करने के प्रश्न पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता होगी। क्या राज्य के अधीन कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के सदस्यों के बीच प्रावधानों में भिन्नता होते हुए भी रोज़गार के मामलों में समान अवसर की अवधारणा लागू होती है ? हमारी राय में, उत्तर नकारात्मक होना चाहिए। समानता की अवधारणा का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, सिवाय उन मामलों के जो व्यक्तियों के बीच सामान्य होते हैं, जिनमें समानता का पूर्वानुमान किया गया है। रोजगार के मामलों में समान अवसर का पूर्वानुमान केवल उन व्यक्तियों के बीच किया जा सकता है, जो या तो समान रोजगार की खोज में हैं, या फिर समान रोजगार प्राप्त कर चुके हैं।"

आगे बढ़ते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

"हमारी राय में, इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता कि पदोन्नति के मामलों में अवसर की समानता का मतलब कर्मचारियों के एक ही वर्ग के सदस्यों के बीच समानता होना चाहिए, न कि अलग-अलग, स्वतंत्र वर्गों के सदस्यों के बीच समानता।"

बाद में किशोरी मोहन-लाल पक्षी बनाम भारत संघ, ए.आई.आर 1962 एस.सी. 1139 के मामले में भी इसी सिद्धांत की पुष्टि की गई।

उपरोक्त अनुपात का पालन यूनिकाट संकुन्नी मेनन बनाम राजस्थान राज्य, [1967] 3 एस.सी.आर. 430 में किया गया है। जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार देखा कि:

"यह सोचना पूरी तरह से गलत है कि एक ही पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति यह दावा करने का हकदार है कि उसे उसी पद पर नियुक्त किसी भी अन्य व्यक्ति के भांति, भर्ती की विधि या जिस स्रोत से अधिकारी की उस पद पर नियुक्त हुई है, उसकी परवाह किए बिना, समान परिलब्धियां दी जानी चाहिए। संविधान की अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 16 के तहत ऐसी किसी समानता की आवश्यकता नहीं है।"

पंजाब राज्य बनाम जोगिंदर सिंह, [1963] सप्ल. 2 एस.सी.आर. 169 में, इस प्रश्न पर विचार किया गया है और यह माना गया है कि

समान अवसर से वंचित करने का प्रश्न केवल समान वर्ग के सदस्यों के बीच ही उठ सकता है और यह सरकार के लिए खुला है कि वह समान कार्य करने वाले कर्मचारियों की दो अलग-अलग सेवाओं का गठन करे, लेकिन अलग सेवाओ की शर्तों के अधीन। न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि यह धारणा कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, सही नहीं है और यह कहना भी सही नहीं है कि यदि वेतन और काम में समानता है तो सेवा की शर्तों में भी समानता होनी चाहिए।

पूरी गंभीरता से विचार करने के बाद भी हम CAT की पूर्ण पीठ के इस विचार से सहमत नहीं हो सकते हैं कि समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत इस तथ्य के बावजूद लागू होता है कि पदों की पहचान और उन्नयन वर्ष 1987 में किया गया था। विवाद यह नहीं है कि इस तरह के उन्नयन के बाद, दोनों शाखाओं में समान काम करने वाले अधिकारियों को समान वेतन दिया जा रहा है। परंतु यह है की 1.1.86 को भी वैसी ही स्थिति नहीं कही जा सकती। हालाँकि, विद्वान वकील ने कहा कि वेतन आयोग की सिफारिशों को सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के संबंध में समग्र रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने इस न्यायालय के दो निर्णयों पर विश्वास किया। पुरषोत्तम लाल एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, [1973] 1 एस.सी.सी. 651 में एक प्रश्न उठा की क्या दूसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट में उन याचिकाकर्ताओं के मामले का निपटारा नहीं किया गया है ।

इसे इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया कि:

"या तो सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के संबंध में एक निर्देष दिया है या उसने नहीं दिया है। लेकिन अगर उसने सभी सरकारी कर्मचारियों के संबंध में एक निर्देष दिया है और उसने सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है तो यह सभी सरकारी कर्मचारियों के संबंध में सिफारिशों को लागू करने के लिए बाध्य है। यदि वह कुछ कर्मचारियों के संबंध में रिपोर्ट लागू नहीं करती है तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। जहां तक इन याचिकाओं का संबंध है, सरकार ने यही किया है।"

पी. परमेश्वरन एवं अन्य बनाम भारत सरकार के सचिव, [1987] सप्ल. एस.सी.सी. 18 मामले में एक संक्षिप्त निर्णय में इस न्यायालय ने कहा कि प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण सरकार 1 जनवरी 1973 से संशोधित ग्रेड और वेतनमान का लाभ देने से इनकार नहीं कर सकती जैसा कि अन्य व्यक्ति के मामले में होता है।

इसमें कोई विवाद नहीं है कि मौजूदा मामले में वेतन आयोग की निर्दषत शर्तें सभी श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऊपर उल्लेखित अन्य श्रेणी, सहायक लेखा अधिकारी आदि को किस तारीख से उच्च वेतनमान मिलना चाहिए। इन पदों की

पहचान और उन्नयन को महज प्रशासनिक दिक्कतें नहीं माना जा सकता। वेतन आयोग की सिफारिशों को उसकी शर्तों के अनुसार लागू करने में पहचान के बाद पदों के सृजन की प्रक्रिया शामिल थी जिसमें स्वाभाविक रूप से कुछ समय लग गया। इसलिए विद्वान वकील द्वारा विश्वास किए गए उपरोक्त निर्णय प्रत्यर्थीगण के लिए कोई मदद नहीं करते हैं।

उपरोक्त सभी कारणों से हम इन सभी सिविल अपीलों में प्रश्नांकित आदेशों को रद्द करते हैं और तदनुसार उन्हें अनुमति देते हैं। मामलों की परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

वी.पी.आर.

अपील स्वीकृत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ज्योति पटेल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।